प्रेस नोट
दिनांक 015.02.2025
संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील कर्नलगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया–

आज दिनांक 15.02.2025 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में कर्नलगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगण द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत–प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगण द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा–निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना–पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर एस0डीएम0 कर्नलगंज सहित राजस्व व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.02.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज प्रताड़ना के अभियुक्तों को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 11,000–11,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 20.09.2021 को वादिनी श्रीमती राधा देवी पत्नी सुनील बरई नि0 बरईन पुरवा जफरापुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर दहेज प्रताड़ना के सम्बन्ध में थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0–150/2021, धारा 498ए,323,324,504,506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 05 नामजद अभियुक्तों–01. सुनील कुमार बरई(पति), 02. सियाराम(ससुर), 03. आरती देवी(सास), 04. देवकी (नंद), 05. अजय कुमार (नंदोई) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 30.10. 2021 को प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 15.02.2025 को अभियोजक श्री नित्यानन्द यादव, थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सिविल जज द्वितीय महोदय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण–01.सुनील कुमार बरई पुत्र सियाराम, 02. आरती देवी पत्नी सियाराम, 03. सियाराम पुत्र राममिलन को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 11,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्तगण– 01.देवी पत्नी अजय कुमार, 02. अजय कुमार पुत्र जगतपाल को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को रू0 6,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. सुनील कुमार बरई पुत्र सियाराम नि0 जफरापुर बरईन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
02. आरती देवी पत्नी सियाराम नि0 जफरापुर बरईन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
03. सियाराम पुत्र राम मिलन नि0 जफरापुर बरईन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
04. देवकी पत्नी अजय कुमार नि0 भिक्खमपुर नौरंगाबाद थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
05. अजय कुमार पुत्र जगतपाल नि0 भिक्खमपुर नौरंगाबाद थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–150/2021, धारा 498ए,323,324,504,506 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 15.02.2025</u>

<u>बाल श्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत–</u>

आज दिनांक 15.02.2025 को शासन द्वारा बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान, मानव तस्करी और तस्करी प्रवासी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटी टीम द्वारा थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत (गुड्डूमल, एकता चौराहा, भरत मिलाप चौराहा, पिपल चौराहा व इनकैन चौराहा) संचालित दुकानों, होटलों की चेकिंग की गई। अभियान के दौरान बाल श्रम रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे मे दुकानदारों को अवगत कराया एवं हिदायत दी गई की भविष्य में किसी भी प्रकार के बच्चों से बाल श्रम ना कराये यदि बाल श्रम कराते पकड़े जाते हैं तो थाना ए0एच0टी0 प्रभारी के द्वारा विधिक कार्यवाही की जायेगी। इसी क्रम में अभियान के दौरान मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बच्चों को जागरूक किया गया और महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के बारे में अवगत कराया गया। अभियान के दौरान 01 बच्चों से श्रम कराते हुए पाये जाने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र प्रताप द्वारा उक्त सेवा नियोजक के विरूद्ध कुल 01 निरीक्षण टिप्पणी काटी गयी।
<u>इस दौरान जिला चाइल्ड हेल्पलाइन से श्री आशीष मिश्रा, अपराजिता सामाजिक संगठन से श्री आत्रेय त्रिपाठी, थाना ए0एच0टी0 से प्रभारी नि0 लाल बिहारी, मुख्य आरक्षी गउचरन, म0आ0 मीनू यादव मौजूद रही।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>